कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के 30 नग वन्यजीव कछुऐं जप्त एवं 02 आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ति (56/26, दिनांक 20.08.2026)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवो की तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) इकाई-इंदौर के द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों को 30 नग दुर्लभ प्रजाति के कछुओ का अवैध व्यापार करते हुए गिरफ्तार कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम -1972 की विभिन्न धाराओ के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3951/02 दिनांक 19.08.2026 पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार किये गये आरोपी 1. रोहन गौड़ पिता कमल गौड़ ,निवासी मूसाखेड़ी ,इंदौर एवं 2.केशव शर्मा पिता विमल शर्मा ,निवासी मूसाखेड़ी ,इंदौर के द्वारा संगठित रूप से दुर्लभ वन्यजीवों की अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध व्यापार/तस्करी की जा रही थी। आरोपियों के पास से दुर्लभ प्रजाति के कछुए इंडियन स्टार टोरटोइज़ (Geochelone elegans) 14 नग , इंडियन रूफ्ड टर्टल (Pangshura tentoria) 10 नग एवं स्पॉटेड पौंड टर्टल (Geoclemys amiltonii) 06 नग तथा 03 नग मोबाइल फोन जब्त किये गये है ,बरामद की गई समस्त वन्यजीव प्रजातिया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित है, जिनके अवैध व्यापार/तस्करी के लिए 03 वर्ष से 07 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने (25 हजार रूपये से अनिम्न) के दंड का प्रावधान है। दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,इंदौर के समक्ष प्रस्तुत कर फारेस्ट रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल